

[भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

सं. 15/2018-सीमा शुल्क

नई दिल्ली, दिनांक 02 फरवरी, 2018

सा0का0नि0.....(अ)- केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित वित्त (सं0 2) अधिनियम, 1998 (1998 का 21) की धारा 103 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं0 6/2015-सीमाशुल्क, तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्यांक 128(अ), तारीख 1 मार्च, 2015 द्वारा प्रकाशित की गई थी, को उन बातों के सिवाय विखंडित करती है जिन्हें ऐसे विखंडन से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है ।

(फा.सं. 334/4/2018-टीआरयू)

(रुचि बिष्ट)

अवर सचिव, भारत सरकार